राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– F2(8)/Comp./13-14/ 313/411 दिनांक :– 19/9/13

परिपत्र

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त पत्र क्रमांक F9(117)/Res./IGRS(sugg.)/ SDRI/2013/2521-38 दिनांक 02.09.2013 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु कि जाने वाली संकर्म संविदा (Works Contract) बाबत सामान्यतः 500/– रूपये स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 अनुसूची (धारा 3 अंतर्गत) के क्रम संख्या 58 निम्नानुसार प्रावधान करता है।

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
58. संकर्म संविदा अर्थात उसके निष्पादन में माल में की सम्पत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) अन्तरण को अन्तर्वलित करने वाली संकर्म और मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा और उसमें उप–संविदा भी सम्मिलित है :–	
(क) जहां ऐसी संविदा में उपवर्णित रकम या मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक न हो।	(पांच सौ रूपये)
(ख) जहां वह 10 लाख रूपये से अधिक हो किन्तु 50 लाख रूपये से अधिक न हो	(एक हजार रूपये)
(ग) जहां वह 50 लाख रूपये से अधिक हो।	(पांच हजार रूपये)

अतः आपसे आग्रह है कि आप अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करावें कि आपके वृत्त/खण्ड कार्यालयों में की जाने वाली संकर्म संविदा (Works Contract) पर उपरोक्तानुसार स्टाम्प शुल्क चुकाया जा रहा है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (संकलन)

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अति. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. समस्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशों की पालनार्थ।
4. सहायक लेखाधिकारी (भण्डार), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित के ई–मेल एवं बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

19/9/13

वरिष्ठ लेखाधिकारी (संकलन)

राजस्थान सरकार
राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय,राजस्थान
भूतल 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर

ई–मेल: Sdri@rajasthan.gov.in फैक्स: 0141--2744841

क्रमांक: F9(117)/Res./IGRS(sugg.)/SDRI/2013/2521-38 दिनांक: 02-09-2013

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, रीको।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, कोटा।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, उदयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
13. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
14. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
16. सचिव, नगर विकास न्यास, अजमेर।
17. सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर।
18. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।

महोदय,

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को विभिन्न स्त्रोतो से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं), विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम तथा रीको द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु की जाने वाली संकर्म

संविदा (Works Contract) बाबत् सामान्यतः 500/– रुपये स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है।

इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 अनुसूची (धारा 3 अंतर्गत) के क्रम संख्या 58 निम्नानुसार प्रावधान करता है–

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
58. संकर्म संविदा अर्थात् उसके निष्पादन में माल में की सम्पत्ति के (चाहे वह माल के रुप में हो या किसी अन्य रुप में) अन्तरण को अन्तर्वलित करने वाली संकर्म और मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा और उसमें उप-संविदा भी सम्मिलित है:–	
(क) जहां ऐसी संविदा में उपवर्णित रकम या मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक न हो।	(पांच सौ रुपये)
(ख) जहां वह 10 लाख रुपये से अधिक है किन्तु 50 लाख रुपये से अधिक न हो।	(एक हजार रुपये)
(ग) जहां वह 50 लाख रुपये से अधिक हो।	(पांच हजार रुपये)

अतः आपसे आग्रह है कि आप अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करावें कि आपके विभाग में की जाने वाली संकर्म संविदा (Works Contract) पर उपरोक्तानुसार स्टाम्प शुल्क चुकाया जा रहा है।

महानिदेशक